

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
सोमवार, 19 जून, 2000 / ज्येष्ठ 29, 1922 §शक§

संख्या: 94

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, पुलिस उपायुक्त, उत्तर जिला दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हरशरण सिंह बल्ली एवं श्री अविनाश साहनी को दिनांक 14.06.2000 को अपराहन 12.05 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण मैटकॉफ हाउस के पास नज़रबंद किया गया ।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात् दिनांक 14.06.2000 को अपराहन 12.10 बजे रिहा कर दिया गया । "

एस. के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday 19th June, 2000/Jyeshtha 29, 1922(Saka)

No. 94

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi : -

" I have the honour to inform you that Shri Harsharan Singh Balli, MLA and Shri Avinash Sahney, MLA, Delhi Vidhan Sabha alongwith others were detained u/s 65 of the Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police near Matcalfe House at 12.05 PM on 14/6/2000.

They were released at 12.10 PM from the same place on the same day i.e. 14/6/2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY